रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 फरवरी, 1996/14 माघ, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जनवरी, 1996

संख्या आयु०-सी-ई (3)4/94.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत: मौजा लेदा, तहसील सदर, जिला मण्डी में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, लेदा (मण्डी) के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जन करना अपेक्षित है अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3 पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी, सदर, मण्डी जिला, मण्डी के सम्मुख अपनी आपत्ति दायर कर सकता है :—

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : सदर

स्थान	खसरा नं0	रकबा (बीघों में)		
1	2	3	4	5
लेदा	520	1	04	18
	521	0	11	07
	522	0	01	14
	523	0	03	17
	524	0	16	09
	526	0	04	02
	528	0	08	09
कित्ता ..	7	3	10	16

आदेश द्वारा,

जे0पी0 नेगी,
आयुक्त एवं सचिव ।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 जनवरी, 1996

संख्या एल0एस0जी0 ई0 (3) 14/93. —यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम जो कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा सार्वजनिक प्रयोग हेतु उनके व्यय पर सीवरेज लाईन हेतु गांव उपमहाल कैथू, तहसील व जिला शिमला में भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसाकि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित है या हो सकते है, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला (एस0डी0एम0 अरबन) शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

क्रम सं0	तहसील का नाम	गांव	खसरा नं0	क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)
1.	शिमला शहरी	उप-महाल कैथू-II	456/1	83-76
			444	19-50
		किता . .	2	103-26

आदेश द्वारा,
पी0 एस0 राणा,
बित्तायुक्त एवं सचिव।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

शिमला-1, 30 जनवरी, 1996

संख्या एफ0डी0एस0-एस0एम0एल0-7/39/95-931.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एफ0डी0एम0-एस0 एम0 एल0-7-39/95-16884-16923, दिनांक 14-12-1995 की निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई0) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, वी0 सी0 फारका, जिला दण्डाधिकारी, शिमला, जिला शिमला, आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना आगामी दो महीनों के लिए लागू रहेगी।

वी0 सी0 फारका,
जिला दण्डाधिकारी,
शिमला, जिला शिमला।

कार्यालय उपायुक्त, सोलन, हिमाचल प्रदेश

शुद्धि पत्र

सोलन, 16 जनवरी, 1996

संख्या सोलन-1-17(पंच/नि0)/95-6103-9.—इस कार्यालय की अधिसूचना पृष्ठांकन संख्या 5919-25 दिनांक 5-1-1996 के कोष्ठ 2 पर उपाध्यक्ष, पंचायत समिति कुनिहार, श्री रोशन लाल पुत्र श्री बालक राम, ग्राम कांजर जेरी, डाकघर भराड़ीघाट, जिला सोलन के स्थान पर श्री रोशन लाल पुत्र श्री राम दित्ता, ग्राम शैली, डाकघर मटेरनी, तहसील अर्की, जिला सोलन पढ़ा जाए।

श्रीकान्त बालदी,
उपायुक्त।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।